सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री चाँदमल वर्मा, आर.ए.एस.)

प्रकरण स : 03/2017 (प्रा.प. आवंटन निरस्त)
RCMS NO: 2017/00003

अनवान

1. श्री बदा पिता काला पटेल, निवासी छाणी, तहसील खेरवाडा, जिला उदयपुर।
2. श्री गौतम पिता लाला पटेल, निवासी छाणी, तहसील खेरवाडा, जिला उदयपुर।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री पुरणप्रसाद पिता नारायणलाल ब्राह्मण, निवासी छाणी, तहसील खेरवाडा, जिला उदयपुर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खेरवाडा, जिला उदयपुर।

– विपक्षीगण

उपस्थित

1. श्री मन्नाराम ड़ांगी, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री संजय बोहरा, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1

अपील प्रार्थना–पत्र अंतर्गत नियम 14 (4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 बावत आवंटन निरस्त कराये जाने

* निर्णय *

दिनांक 05-11-2018

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 के प्रस्तुत किया कि दिनांक 15.01.1977 को उपजिलाधीश, सलुम्बर की अध्यक्षता वाली आवंटन कमेटी द्वारा ग्राम छाणी, तहसील खेरवाडा की साबिक आराजी नम्बर 286 रकबा 4 बिस्वा जमीन किस्म रास्ता की भूमि विपक्षी संख्या 1 को आवंटन कर दिया तथा ग्राम छाणी की जमाबन्दी सम्वत् 2034 से 2037 खाता संख्या 227 में नामान्तरकरण संख्या 205 दिनांक 08.06.1977 द्वारा विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज हुआ। वर्तमान जमाबन्दी में आराजी नम्बर 405 रकबा 0.0400 हेक्टेयर भूमि विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज है, जिस पर विपक्षी संख्या 1 का कभी कब्जा नही रहा। उक्त आवंटन आदेश कानून एवं आवंटन नियमों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की कॉलम संख्या 4 में उक्त भूमि की किस्म रास्ता बतायी गयी है। आवंटन आवेदन पत्र की पटवारी जांच रिपोर्ट में विपक्षी संख्या 1 को भूमिहीन नही बताया गया है तथा जांच प्रतिवेदन की कॉलम संख्या 17 में उक्त वर्णित भूमि को सार्वजनिक बताया गया है। विपक्षी संख्या 1 के पिता नारायणलाल ग्राम छाणी के सरपंच रहे थे इसलिये अपने सरपंच का दुरूपयोग कर अपने पुत्र के नाम भूमि आवंटन करवा ली गयी जो नियम विरूद्ध हैं। साबिक आराजी नम्बर 286 रकबा 4 बिस्वा भूमि आम रास्ता सडक एवं प्रार्थीगण की पुश्तेनी खातेदारी की भूमि में स्थित हो एक

छोटी भू–पट्टी है जिस पर 70 वर्षो से भी अधिक समय से प्रार्थीगण का कब्जा चला आ रहा हैं। इस भूमि पर 5 बड़े आम के पेड़ स्थित हैं, जो कि प्रार्थीगण के पूर्वजों द्वारा लगभग 40–50 वर्ष पूर्व लगाये गये है। उक्त आवंटन राजस्व अधिकारियों द्वारा गलत तरीके से किया गया है। वर्णित आराजी संख्या 405 पर आवंटन की दिनांक से लेकर आज दिनांक तक कभी विपक्षी संख्या 1 का कब्जा नहीं रहा एवं न ही उसके द्वारा आवंटन की शर्तो का पालना किया गया है। प्रार्थीगण भूमिहीन काश्तकार होकर उक्त वर्णित भूमि प्रार्थीगण की पुश्तेनी खातेदारी भूमि में मिली हुई है। वादग्रस्त भूमि में पहली बार विपक्षी संख्या 1 द्वारा दिसम्बर 2016 में पत्थर डलवाकर निर्माण कार्य करने पर वादग्रस्त आराजी का विपक्षी संख्या 1 को आवंटन होना जानकारी में आया। इस प्रकार उपजिलाधीश सलुम्बर द्वारा दिनांक 15.01.1977 को जरिये मिसल संख्या 16/1977 से ग्राम छाणी, तहसील खेरवाडा के साबिक आराजी नम्बर 286 पर विपक्षी संख्या 1 को किया गया आवंटन विधि विरूद्ध होने से खारिज किया जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये एवं अपना पक्ष एवं प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया। विपक्षी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री संजय बोहरा द्वारा वकालात पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में जवाब पेश किया कि दिनांक 15.01.1977 को आवंटन कमेटी की राय से मौजा छाणी, तहसील खेरवाड़ा की साबिक आराजी संख्या 286 रकबा 4 बिस्वा भूमि का आवंटन विपक्षी संख्या 1 को हुआ, जिसके हाल आराजी नंबर 405 रकबा 0.0400 हेक्टेयर भूमि विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज है। उक्त भूमि का आवंटन आज से 40 वर्षो पूर्व विपक्षी संख्या 1 को हुआ है एवं वर्तमान में भूमि विपक्षी संख्या 1 के नाम खातेदारी हक से दर्ज चली आ रही है। प्रार्थीगण द्वारा जानबूझकर यह गलत प्रार्थना पत्र पेश किया है। आवंटन से पूर्व आवंटी को भूमिहीन बताया गया है एवं आवंटन नियमानुसार किया गया है। यह भूमि कभी रास्ते की भूमि के रूप में दर्ज नहीं रही एवं न ही उक्त भूमि कभी सार्वजनिक थी। आवंटन के दिवस को विपक्षी संख्या 1 व्यापारी ना होकर भूमिहीन काश्तकार था। विपक्षी संख्या 1 के पिता का सरपंच होना या ना होना विपक्षी संख्या 1 की जानकारी में नही है। प्रार्थी ने 40 वर्ष पश्चात् जानबूझकर यह गलत प्रार्थना पत्र पेश किया है। विपक्षी संख्या 1 को आवंटित भूमि पर नियमानुसार काश्त करने एवं आवंटन नियमों की पालना करने से ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए है एवं खातेदारी अधिकारी प्राप्त हो जाने के पश्चात् कथित आवंटन को निरस्त नही किया जा सकता है। विपक्षी संख्या 1 को आवंटित भूमि पर प्रार्थीगण का कभी कब्जा नही रहा है। प्रार्थीगण द्वारा रंजिशवश उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में किये गये आवंटन को बहाल रखे जाने का आदेश प्रदान करावे।

प्रकरण मे प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा श्री रामजी पिता काना पटेल, श्री साकरचंद पिता कुरा पटेल, निवासी छाणी, तहसील खेरवाड़ा का शपथ पत्र पेश किया। प्रकरण में तहसीलदार से विवादित आराजी पर मौके की रिपोर्ट मंगवायी गई। तहसीलदार द्वारा अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2017/1558 दिनांक 22.11.2017 से प्रकरण में प्रेषित मौका रिपोर्ट में न्यायालय को अवगत कराया है कि साबिक आराजी संख्या 286 रकबा 4 बिस्वा भूमि के हाल आराजी नम्बर

405 होकर विपक्षी संख्या 1 श्री पूरण प्रसाद पिता नारायणलाल के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड है एवं मौके पर मौतबिरान अनुसार प्रार्थी श्री बदा का कब्जा है। तहसीलदार खेरवाड़ा, जिला उदयपुर से मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवंटन कमेटी के अध्यक्ष उपखण्ड अधिकारी सलुम्बर से प्रकरण से संबंधित मूल आवंटन पत्रावली संख्या 16/1977 तलब की जाकर बहस हेतु तिथि नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को उभय पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने बहस प्रांरभ करते हुए प्रकरण मे अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 15.01.1977 को किये गये आवंटन को अवैध बताते हुए निरस्त की जाने की मांग की तथा आवंटन से आज तक विपक्षी संख्या 1 का विवादित आराजीयात पर कब्जा ना होना जाहिर किया तथा उक्त विवादित भूमि का प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि से लगा होना एवं प्रार्थीगणो का ही विवादित भूमि पर कब्जा होना जाहिर किया। उक्त आवंटन पर आवंटन कमेटी के आदेश ना होकर मात्र उपखण्ड अधिकारी का ही आदेश होना एवं प्रार्थना पत्र में रास्ते की जमीन होना अवगत कराया तथा ऐसे आवंटन को निरस्त करने की मांग की। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये –

आर.आर.डी. 2005 पृष्ठ संख्या 727

डी.एन.जे.(2)1998 पृष्ठ संख्या 535

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा बहस मे भाग लेते हुए अपने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए स्पष्ट किया कि दिनांक 15.01.1977 को विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश सलाहकार समिति के अनुशंषा उपरान्त ही उपखण्ड अधिकारी द्वारा किया गया है। वक्त आवंटन भूमि की किस्म बी.ाा अंकित है। कब्जा सुपुर्दगी विधिवत एवं नियमानुसार की गई है एवं आवंटन के पश्चात् नियमानुसार आवंटन नियमों की पालना करने के उपरान्त ही विपक्षी संख्या 1 को विवादित आराजीयात पर खातेदारी अधिकारी प्राप्त हो चुके है एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के उपरान्त 14 (4) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। पटवारी से प्राप्त खसरा गिरदावरी रिपोर्ट में भी विपक्षी संख्या 1 द्वारा काश्त की जाना पाया गया है। उक्त विवादित आराजी के संबंध में विपक्षी संख्या 1 द्वारा सीमा जानकारी करायी गयी है एवं प्रार्थीगण को 107–116 में पाबन्द किया गया है। विपक्षी संख्या 1 की खातेदारी भूमि पर मात्र प्रार्थीगण द्वारा कब्जा कर लिये जाने से भूमि पर उनका अधिकार नहीं माना जा सकता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जावे एवं विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में किया गया आवंटन बहाल रखा जावे। विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये :–

आर.आर.टी. 2010 (1) पृष्ठ संख्या 157

आर.आर.डी. 1994 पृष्ठ संख्या 381

आर.आर.टी. 2011 (1) पृष्ठ संख्या 270

आर.आर.टी. 2007 (2) पृष्ठ संख्या 1194

आर.बी.जे. (16) 2009 पृष्ठ संख्या 112

आर.आर.डी. 1993 पृष्ठ संख्या 417

आर.बी.जे. (21) 2014 पृष्ठ संख्या 685

आर.आर.टी. 2011 (1) पृष्ठ संख्या 383

आर.आर.टी. 2006 (2) पृष्ठ संख्या 1171

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं पत्रावली मे उपलब्ध प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र, विपक्षी स. 1 के जवाब, आवंटन पत्रावली, तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट एवं उसमे वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया एवं उन पर गंभीरता से मनन किया। प्रकरण में विवाद विपक्षी संख्या 1 श्री पूरण प्रसाद पिता नारायणलाल को आवंटित साबिक आराजी संख्या 286 रकबा 4 बिस्वा का है, जिस पर उभय पक्ष द्वारा अपना अपना कब्जा बताया जा रहा हैं। आवंटन पत्रावली संख्या 16/1977 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विपक्षी संख्या 1 श्री पूरण प्रसाद पिता नारायण लाल द्वारा आवेदन करने पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर उक्त भूमि का आवंटन विपक्षी सं. 1 को किया गया है एवं आवंटन के पश्चात् कब्जा सुपुर्दगी पत्र पर पटवारी हल्का, भू.अ.निरीक्षक एवं गवाहान के हस्ताक्षर मौजुद हैं। प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में विवादित आराजी पर आवंटन के पूर्व से स्वयं का कब्जा होना अवश्य अवगत कराया है, किन्तु प्रकरण मे प्रार्थीगण द्वारा इसकी पुष्टि हेतु न तो कोई पुरानी जमाबंदी इत्यादि की रिपोर्ट सलंग्न की है और न ही धारा 91 के नोटिस आदि सलंग्न किये है, जिससे यह साबित हो सके की प्रार्थीगण का उक्त विवादित भूमि पर पुराना कब्जा विपक्षी सं. 1 को किये गये आवंटन के पूर्व से चला आ रहा हो। यदि प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर पुराना कब्जा होता तो उस पर अवश्य ही धारा 91, भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही की जाकर पेनाल्टी आरोपित की जाती, जिसकी रसीदे प्रार्थी के पास उपलब्ध होती, जो प्रार्थीगण का कब्जा साबित करती। प्रार्थीगण एवं उनके अधिवक्ता कब्जे के संबंध मे धारा 91, भू राजस्व अधिनियम 1956 की रसीदे प्रस्तुत करने मे असफल रहे हैं। आवंटन मे किसी प्रकार का मिसप्रजेन्टेशन हुआ हो, ऐसा कोई दस्तावेज भी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। आवंटन के इतने लम्बे समय पश्चात् किसी भी आवंटी के आवंटन को निरस्त कर उसे भूमि से बेदखल करना हम न्यायोचित नहीं समझते है। प्रकरण में प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पिता का सरपंच होना न्यायालय को अवगत कराया है, किन्तु इसकी पुष्टि में कोई दस्तावेज प्रार्थीगण के अधिवक्ता पेश नहीं कर सके है। मात्र वर्तमान में कब्जे के आधार पर उक्त आवंटन को निरस्त करना उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त विपक्षी संख्या 1 को आवंटित भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने से नियम 14(4) अंतर्गत कार्यवाही उचित प्रतीत नही होती है। विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त प्रकरण में चस्पा होते है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है तथा मौजा छाणी, तहसील खेरवाड़ा की साबिक आराजी संख्या 286 रकबा 4 बिस्वा भूमि पर उपखण्ड अधिकारी सलुम्बर द्वारा मिसल नम्बर 16/1977 से विपक्षी संख्या 1 श्री पुरण प्रसाद के पक्ष मे किया गया आवंटन आदेश दिनांक 15.01.1977 को यथावत रखा जाता हैं। प्रार्थीगण यदि

चाहे तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानो के अंतर्गत सक्षम न्यायालय में चाराजोही के लिये स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 05.11.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(चाँदमल वर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर